



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258143
CG-DL-E-22102024-258143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946

No. 600]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2024

सं. 21/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 658(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “सल्फर ब्लैक” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों 3204 11 96, 3204 12 18, 3204 19 11, 3204 19 25, 3204 19 58, 3204 19 64, 3204 19 67, 3204 19 79 या 3204 90 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 6/08/2023-डीजीटीआर, दिनांक 7 अगस्त, 2024, जिसे दिनांक 7 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

(i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ii) विषयगत वास्तु की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई;

(iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3204 11 96, 3204 12 18, 3204 19 11, 3204 19 25, 3204 19 58, 3204 19 64, 3204 19 67, 3204 19 79 या 3204 90 00	सल्फर ब्लैक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शेडोंग डायरियार्न इकोकेम कंपनी लिमिटेड	271	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेडोंग डायरियार्न इकोकेम कंपनी लिमिटेड के अलावा कोई भी निर्माता	389	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	389	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट: कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपादन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/156/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2024

No. 21/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 658(E).—Whereas, in the matter of “Sulphur Black” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 3204 11 96, 3204 12 18, 3204 19 11, 3204 19 25, 3204 19 58, 3204 19 64, 3204 19 67, 3204 19 79 or 3204 90 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/08/2023-DGTR, dated the 7th August, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th August, 2024, has, *inter alia*, come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the dumping of the subject goods has resulted in material injury to the domestic industry in India;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3204 11 96, 3204 12 18, 3204 19 11, 3204 19 25, 3204 19 58, 3204 19 64, 3204 19 67, 3204 19 79 or 3204 90 00	Sulphur Black	China PR	China PR	Shandong Dyeriyarn Ecochem Co., Ltd.	271	MT	USD

2.	-do-	-do-	China PR	Any country, including China PR	Any producer other than Shandong Dyeriyarn Ecochem Co., Ltd.	389	MT	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	389	MT	USD

Note: The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/156/2024-TRU Section-CBEC]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.